

मोटरगाड़ी अधिनियम और नियमावली के अधीन रिपोर्ट

[नियम 1299(ख)]

सेवा में,

महाशय,

नीचे क्रमांक में नामित व्यक्ति पर क्रमांक 8 में वर्णित अपराध का आरोप लगाया गया है कि उसके विरुद्ध मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा के अधीन अभियोजन चलाया जाय।

1. घटना का स्थान, तिथि और समय

2. गाड़ी का निबंधन सं.

3. (1) गाड़ी का प्रकार और वह निजी है या सार्वजनिक
(2) सार्वजनिक गाड़ी की क्षमता या यात्रियों के लिए स्थान
(3) परमिट सं.

4. मालिक के नाम और निवास स्थान

5. चालक का नाम और निवास स्थान,
जो पता लगा सका हो
6. चालक लाईसेंस के ब्योरे

7. उपचालक का नाम और निवास स्थान
तथा उपचालक- लाईसेंस की सं.

8. अधिनियम या नियमावली की धारा सहित अपराध

9. गवाहों के नाम और पते

10. रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

11. प्रभाग निरीक्षक की अभियुक्ति

12. अधीक्षक/ उपाधीक्षक की अभियुक्ति

13. चालक के बारे में कोई विशेष बात

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायिक दण्डा० महोदय,

व्यवहार न्यायालय, गोड्डा।

प्रसंग:- गोड्डा (मु०) थाना DR No.

विषय:- वाहन चेकिंग के दौरान जप्त वाहनों मोटर साईकिल पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि गोड्डा (मु०) थाना वाहन मोटर साईकिल दिनांक को चेकिंग के दौरान मोटर साईकिल निबंधन सं०- जप्त किया गया था। उक्त मोटर साईकिल वाहन के मालिक/ चालक के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु भेजा जा रहा है।

अतः माननीय से अनुरोध है कि अग्रतर कार्रवाई करने हेतु अनुलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक- यथोपरी।

विश्वासभाजन

थाना प्रभारी,
गोड्डा (मु०) थाना।